

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय डिप्टिडियलस जज

12/10/23

पत्रावली पेश। वास्ते वर्डतजार लागील
प्राप्त कर पत्रावली दिनांक 7/11/23
को पेश हो। ✓

7 $\frac{12}{23}$

**पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी
दोरे/ मिटींग/ V.C. ने व्यस्त होने
से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली
दिनांक..... 25/11/24 को पेश हो।**

25 $\frac{1}{24}$

पत्रावली पेश। अपाचीगण वावजूद गबिल।
सूचना के अनुहुँदी वार 2 भावाज दिववर्ष
गई। अनु. रहे हुँ अतः अपाचीगण के
विरुद्ध एकपरीत्र कार्यवाही के आदेश
दिने जाते हुँ। वास्ते बहुस पत्रावली
दिनांक - 11/03/2024 को पेश हो। ✓

11/3/24

पत्रावली पेश। वास्ते बहुस पत्रावली
दिनांक - 6/5/2024 को पेश हो। ✓

6/5/24

पत्रावली पेश। कस्के वकील प्राची उपहुँदी
बहुस अंतिम सुनी गई। वास्ते आदेश
पत्रावली दिनांक - 15/05/2024 को
पेश हो। ✓

15/5/24

पत्रावली पेश। दुमने वकील प्राचीगण द्वारा
बहुस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन
क्रिया। वकील प्राचीगण ने कथन क्रिया की
अप्राचीगण प्राचीगण की स्वादेदारी सूत्रि

मुकद

प्र

+

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

मज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

हिण्डोली

किस्म मुकदमा..... नं..... सन्.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>ख०स० 862 पर ख०न० 860, 861, 863 में स्थित गे०मु० रास्ते के स्थान पर जेवल सडक का निर्माण करना चाहु रहे हैं। पूर्व में ही रिकॉर्डेड रास्ता होने से प्राचीण की भूमि पर जेवल डालने का अप्राचीण को कोई अधिकार नही है, ऐसा नही करने हेतु अप्राचीण को पाबन्द किया जावे।</p> <p>इसने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्राचीण की स्वतेशरी भूमि के सहारे ख०न० 860 गे०मु० रास्ता है। जिस पर अप्राचीण जेवल सडक का निर्माण कर सकते हैं। पकरण प्रथम दुष्ट या प्राचीण के पक्ष में बना है, सुविधा सलुबन का सिद्धांत भी प्राचीण के हुक में है।</p> <p>अतः अप्राचीण को निर्देशित किया जाता है कि वे प्राचीण (प्राचीण) की स्वतेशरी भूमि ख०स० 862 ग्राम कादोला प०म० कादोला का राजस्व कर्मचारियों से सीमाक्षान करवाने पत्रचाल ही विवादित स्थान पर कार्य करवे। उक्त निर्देश के साथ पकरण का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ सलुबन रहे। निर्णय से इत्फास सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बूची)